Exploitation of Iron Ore at Bailadila

4034. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) the quantities of iron ore proposed to be exploited annually from the Bailadila mines in Madhya Pradesh;

(b) the quantity of iron ore to be exported and the countries to which exports will be made; and

(c) the quantity to be consumed by the Steel Plants in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK) : (a) Against the annual rated capacity of 4 million tonnes from Deposit No. 14 the export commitment to Japan during the current financial year during which the project has been commissioned is 1.8 million tonnes, and it is expected to be fulfilled. During the year 1969-70 and subsequent years, the output from the Bailadila Deposit No. 14 is expected to be 4 million tonnes per annum, the rated capacity.

(b) The entire output from the mine at Deposit No. 14 will be exported to Japan.

(c) Does not arise.

समवाय विधि प्रशासन कार्यालय

4035. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समवाय विधि प्रशासन कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : समवाय विधि प्रशासन कार्यालय जैसी शैली का कोई कार्यालय नहीं है; परन्तु यदि इच्छित सूचना, कम्पनी कार्य विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के नामों तथा पदनामों के सम्बन्ध में पूछी गई है, तो उक्त विभाग के अधिकारियों के बारे में यह सूचना मार्च, 1968 की नवीनतम दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका के पृष्ठ 469 पर व टाइम्स आफ इन्डिया निर्देशिका के पृष्ठ 1007 पर तथा 1968 की वार्षिक पुस्तक व ऐसी अन्य निर्देश पुस्तकों में दी गई है ।

कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जाना

4036. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समवायों के नाम क्या हैं जिनके बारे में समवाय विधि प्रशासन ने वर्ष 1966-67 और 1967-68 में आय कर अपवंचन और भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया था; और

(ख) उन समवायों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये थे और जिनके नाम काली सूची में दर्ज किये गये थे ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी कार्य विभाग को निहित की गई शक्तियों के अन्तर्गत, यह विभाग, आय-कर अपवंचन तथा भ्रष्टाचार के मामलों में जांच-पड़ताल अथवा कार्यवाही नहीं कर सकता। फिर भी, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई जांच पड़तालों के समय यदि कर अपवंचन अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित संशयास्पद परिस्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं, तो सम्बद्ध सूचना आगे कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है। चूंकि कंम्पनी कार्य विभाग ऐसे मामलों के बारे में पता नहीं लगाता, अतः इनमें ग्रस्त कम्पनियों के नामों की सूचना देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ख) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुये, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा